रेल दावा अधिकरण
पटना पीठ, पटना

वाद संख्या– OA(IIu)/PNBE/07/2023

पीठासीनः श्री एस0एस0गेहलोत, माननीय उपाध्यक्ष, रे0दा0अ0, (सर्किट बेंच, पटना)

श्री एस0डी0शर्मा, माननीय सदस्य (न्यायिक),रे0दा0अ0/कोलकाता(सर्किट बेंच,पटना)

संस्थन की तिथिः 05.01.2023

निर्णय की तिथिः 03.04.2025

1. बीबी तरन्नुम जहां W/o मो0 जावेद खान
निवासी ग्राम/मो0–गोविन्दपुर, पोस्ट–-तेघड़ा,
थाना–आजम नगर, जिला–कटिहार,
बिहार, पिन–855113
2. नायला फिरदोस W/o परवेज आलम
निवासी ग्राम/मो0–नया टोला, सादापुर,
थाना–आजम नगर, जिला–कटिहार,
बिहार, पिन–855113
3. नाजनीन सहर W/o शब्बीर अहमद
निवासी ग्राम/मो0–नया टोला, सादापुर,
थाना–आजम नगर, जिला–कटिहार,
बिहार, पिन–855113

.... याचीगण

बनाम

भारत संघ द्वारा महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर .... उत्तरदाता

उपस्थितिः
याचीगण की तरफ से कोई भी हाजिर नहीं।
प्रतिवादी अधिवक्ता–श्री टी0एन0ठाकुर–उपस्थित।

निर्णय

1. याचीगण बीबी तरन्नुम एवं अन्य ने यह याचिका रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा–16 के अन्तर्गत राबेका खातुन की रेल दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप उन पर अपनी आश्रितता के आधार पर भारत संघ (द्वारा महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर) के विरूद्ध क्षतिपूर्ति दिये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत की गयी है।

2. याचीगण के अभिकथन के अनुसार, मृतका राबेका खातुन शयनयान श्रेणी आरक्षित टिकट पी एन आर नं0 6618511283 लेकर दिनांक 17.08.2018 को सदभावी यात्री के रूप में ट्रेन नं0 13246 डाउन कैपिटल एक्सप्रेस से राजेन्द्र नगर रेलवे स्टेशन से बारसोई रेलवे स्टेशन की यात्रा कर रही थी। वह अपने दामाद शब्बीर आलम एवं परवेज आलम के साथ यात्रा कर रही थी। वह अपने बर्थ से शौचालय के लिए जा रही थी। उस बोगी के दरवाजे पर काफी भीड़ थी। यात्रियों की धक्का मुक्की एवं ट्रेन के जर्क के कारण वह खगड़िया रेलवे स्टेशन के पूरब कि0मी0 122/9 के पास ट्रेन से गिर गयी। इस दुर्घटना में आयी चोटों के कारण घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गयी।

3. उत्तरदाता द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत करते हुए याचीगण के उपरोक्त अभिकथन से पूर्णतः इन्कार किया गया और याचिका का इस आधार पर विरोध किया गया कि दावा आवेदन कानूनी रूप से एवं तथ्यों पर पोषणीय नहीं है। मृतका सदभावी यात्री नहीं थी और न ही कथित घटना रेल अधिनियम 1989 की धारा 123 (सी) की परिधि में आती है। आवेदक को यह दावा आवेदन दाखिल करने का कोई कारण नहीं है। कथित घटना की कहानी झूठी, आधारहीन एवं मनगढन्त है। इस घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार करते समय पीड़ित राबेका खातुन के पास से कोई यात्रा टिकट बरामद नहीं हुआ था। अतः वह सदभावी यात्री नहीं थी इसलिए आवेदक

रेल अधिनियम 1989 की धारा 124 ए के तहत मुआवजा का हकदार नहीं है। आवदेक गैरकानूनी लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है जिसके लिए उसे रेल अधिनियम 1989 की धारा 148 के अन्तर्गत दंडित किया जाना चाहिए। आवेदकगण की याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

वाद बिन्दु

4. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर इस याचिका के निर्णय के लिए न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 18.07.2023 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये।

(1) क्या मृतक प्रश्नगत रेलगाड़ी का सदभावी यात्री था?

(2) क्या मृतक की मृत्यु से संबंधित घटना रेल अधिनियम 1989 की धारा 123 (c) (2) सपठित धारा 124–ए के अन्तर्गत परिभाषित अनपेक्षित घटना की परिधि में आती है?

(3) मृतक के आश्रित कौन–कौन हैं?

(4) आश्रितगण किस उपशम को प्राप्त करने के अधिकारी हैं?

5. याचीगण की ओर से अपने अभिकथन के समर्थन में बीबी तरन्नुम जहां का सशपथ मौखिक साक्ष्य ए0डब्लू0 1 के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

6. प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में याचीगण की ओर से यात्रा टिकट, एफआईआर, पुलिस फाइनल रिपोर्ट, रेल थाना को दिया गया आवेदन, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, डेडबॉडी चालान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वंशावली, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है।

7. उत्तरदाता की ओर से अपने अभिकथन के समर्थन में डी आर एम रिपोर्ट मय दस्तावेज की मूल प्रति प्रस्तुत की गयी है।

8. उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित रहे इसलिए पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वाद का निस्तारण किया जा रहा है।

विनिश्चय

वाद बिन्दु संख्या 01

9. याचीगण के अभिकथन के अनुसार, मृतका राबेका खातुन शयनयान श्रेणी आरक्षित टिकट पी एन आर नं0 6618511283 लेकर दिनांक 17.08.2018 को सदभावी यात्री के रूप में ट्रेन नं0 13246 डाउन कैपिटल एक्सप्रेस से राजेन्द्र नगर रेलवे स्टेशन से बारसोई रेलवे स्टेशन की यात्रा कर रही थी। वह अपने दामाद शब्बीर आलम एवं परवेज आलम के साथ यात्रा कर रही थी। वह अपने बर्थ से शौचालय के लिए जा रही थी। उस बोगी के दरवाजे पर भारी भीड़ थी। यात्रियों की धक्का मुक्की एवं ट्रेन के जर्क के कारण वह खगड़िया रेलवे स्टेशन के पूरब कि0मी0 122/9 के पास ट्रेन से गिर गयी। इस दुर्घटना में आयी चोटों के कारण घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गयी।

10. उत्तरदाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान यह स्वीकार किया गया है कि मृतका ट्रेन नं0 13247 से टिकट संख्या पी एन आर नं0 6618511283 के साथ अपने दामाद शब्बीर अहमद एवं परवेज आलम के साथ यात्रा कर रही थी। यह कहा गया कि किसी सहयात्री ने उसे ट्रेन से गिरते हुए प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था।

11. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा 2 (29) रेल अधिनियम 1989 में यात्री शब्द को परिभाषित किया गया है, जो निम्नवत् है:-

धारा 2(29)–"यात्री से किसी विधिमान्य पास या टिकट से यात्रा करनेवाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।"

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए "यात्री" के अन्तर्गत निम्नलिखित आते हैं, अर्थात्:-

(i) कर्तव्यारूढ़ रेल सेवक; और

(ii) ऐसा व्यक्ति जिसने यात्रियों को वहन करने वाली रेलगाड़ी द्वारा, किसी तारीख को, यात्रा करने के लिए कोई विधिमान्य टिकट या कोई विधिमान्य प्लेटफार्म टिकट क्रय किया है और वह व्यक्ति किसी अनपेक्षित घटना का शिकार हो जाता है।

12. विपक्षी रेलवे द्वारा प्रस्तुत डी आर एम रिपोर्ट में यह कहा गया है–

".... मृतक राबेका खातून को ट्रेन संख्या 13247 से टिकट संख्या PNR No. 41733862 अपने दामाद शब्बीर अहमद एवं परवेज आलम के साथ यात्रा कर रही थी परन्तु उक्त महिला को ट्रेन से गिरते हुए किसी भी सहयात्री ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था।"

13. उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलबध साक्ष्यों, विधिक सिद्धान्तों एवं डी आर एम रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। डी आर एम रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से विपक्षी द्वारा मृतका का सदभावी यात्री होना स्वीकार किया गया है। याचीगण के कथन से न्यायाधिकरण पूर्णतः सहमत है कि याची ने टिकट से सम्बन्धित तथ्य को साबित किया है। इसके प्रतिकूल तथ्य को पूर्णतः साबित करने का भार उत्तरदाता पर था, जिसे उत्तरदाता द्वारा साबित नहीं किया गया है। इसके विपरीत उत्तरदाता ने दुर्घटना के समय मृतका के पास वैध यात्रा टिकट होना एवं मृतका का सदभावी यात्री होना स्वीकार किया है। उपरोक्त के आलोक मे, वाद बिन्दु संख्या 1 सकारात्मक रूप से याचीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

वाद बिन्दु संख्या 02

14. इस वाद बिन्दु के अन्तर्गत इस तथ्य का विनिश्चय किया जाना है कि क्या प्रश्नगत दुर्घटना में हुई मृतका की मृत्यु अनपेक्षित रेल दुर्घटना की परिधि में आती है।

15. याचीगण ने अपने अभिकथन में बताया है कि मृतका अपने बर्थ से शौचालय के लिए जा रही थी उस बोगी के दरवाजे पर भारी भीड़ थी। यात्रियों की धक्का मुक्की एवं ट्रेन के जर्क के कारण वह खगड़िया रेलवे स्टेशन के पूरब कि0मी0 122/9 के पास ट्रेन से

गिर गयी। इस दुर्घटना में आयी चोटों के कारण घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गयी।

16. उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। मृतक की मृत्यु रेल अधिनियम 1989 की धारा 123 (सी) (2) के अन्तर्गत अनपेक्षित घटना की परिधि में नहीं आती है।

17. पत्रावली पर उपलब्ध मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, *किसी अज्ञात ट्रेन से गिरकर गंभीर चोट लगने के कारण मृत्यु होना,* अंकित है। फाइनल रिपोर्ट में मृतका की मृत्यु ट्रेन से गिरकर आंतरिक गंभीर चोट लगने के कारण मृत्यु होना दर्शाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु का कारण *C/R failure due to shock & haemorrhage due to trauma by hard blunt heavy object may be a heavy vehicle accident* दर्शाया गया है। उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत डी आर एम रिपोर्ट में *मृतका राबेका खातून को ट्रेन संख्या 13247 से टिकट संख्या PNR No. 41733862 के साथ अपने दामाद शब्बीर अहमद एवं परवेज आलम के साथ यात्रा करना स्वीकार किया गया है।*

18. उपरोक्त तथ्य के आलोक में यह अवलोकन किया गया है कि मृतका आरक्षित टिकट पर दो सहयात्रियों के साथ यात्रा कर रही थी। विपक्षी ने भी यह स्वीकार किया है। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट एवं फाइनल रिपोर्ट में भी ट्रेन से गिरना अंकित है। इससे मृतका की मृत्यु रेल की अनपेक्षित घटना में होना साबित होता है।

19. उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता की बहस उक्त वाद बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विधिक सिद्धान्तों का सम्यक अवलोकन करने के उपरान्त यह विनिश्चित किया जाता है कि मृतका की मृत्यु प्रश्नगत रेलगाड़ी से गिर जाने के कारण आयी चोटों से हुई है जो कि रेल अधिनियम 1989 की धारा–123 (सी) (2) सपठित धारा 124 ए के अर्न्तगत परिभाषित अनपेक्षित रेल दुर्घटना की परिधि में आती है। अतः वाद बिन्दु संख्या 2 भी तदनुसार सकारात्मक रूप से याचीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

वाद बिन्दु संख्या 03

20. विचारणीय बिन्दु यह है कि मृतक का आश्रित कौन है। मूल आवेदन के साथ याचीगण की ओर से वंशावली संलग्न किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि मृतका राबेका खातून की तीन पुत्रियां बीबी तरन्नुम जहां, नायला फिरदोस एवं नाजनीन सहर है। यह साक्ष्य अखण्डित है जिससे आश्रितता से सम्बन्धित याचीगण का कथन पूर्णतः सिद्ध है। इस तथ्य के आलोक में, उपरोक्त याचीगण ही रेलवे अधिनियम की धारा 123 (बी) में विहित प्रावधानों के प्रकाश में मृतका के आश्रित की परिधि में आते हैं और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः यह वाद बिन्दु भी तदनुसार याचीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

वाद बिन्दु संख्या 04

21. यह वाद बिन्दु उपशम से सम्बन्धित है। रेल दुर्घटना एवं अनपेक्षित घटना नियमावली, 1990, जिसे भारत सरकार के असाधारण राजपत्र संख्या–877 दिनांक 22.12.2016 द्वारा संशोधित करते हुए दिनांक 01.01.2017 से प्रभावित किया गया है, की प्रथम अनुसूची के प्रथम भाग में दी गयी व्यवस्था के अनुसार दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में ₹8,00,000/–(आठ लाख रूपये मात्र) का भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। अतः याचीगण प्रतिकर के रूप में ₹8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) एवं उस पर निर्णय की तिथि से भुगतान की तिथि तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आदेश

22. आवेदकगण का आवेदन पत्र कुल ₹8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) एवं उस पर निर्णय की तिथि से भुगतान की तिथि तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, के लिए अधिनिर्णित किया जाता है तदनुसार आवेदकगण की याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी रेलवे निर्णीत धनराशि निम्नलिखित अनुसार अदा करेंगे:–

क्रम सं0	लाभार्थी का नाम	मृतक से संबंध	उम्र (वर्षों में)	एवार्ड की गयी धनराशि (₹)	पार्टी के खाते में भुगतान की जाने वाली राशि (₹)	राशि जो सावधि जमा खाता में तीन वर्षों के लिए जमा की जानी है (₹)
1.	बीबी तरन्नुम जहाँ	पुत्री	50	₹2,66,666	₹26,666	₹2,40,000
2.	नायला फिरदोस	पुत्री	42	₹2,66,667	₹26,667	₹2,40,000
3.	नाजनीन सहर	पुत्री	34	₹2,66,667	₹26,667	₹2,40,000

23 (a)प्रतिवादी रेलवे को निर्देशित किया जाता है कि निर्णित प्रतिकर की धनराशि ₹8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) एवं उस पर निर्णय की तिथि से भुगतान की तिथि तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, निर्णय की प्रति प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर अपर निबंधक पटना के यहाँ जमा करेगा। यदि प्रतिवादी रेलवे 30 दिन के अंदर प्रतिकर धनराशि नहीं जमा करता है तो निर्णय की तिथि से प्रतिकर जमा करने की तिथि तक 9 प्रतिशत मय साधारण ब्याज प्रतिकर धनराशि जमा करेगा। अपर निबंधक पटना एवार्ड की धनराशि याचीगण द्वारा समस्त औपचारिकता पूरी करने के पश्चात 90 दिन के अंदर भुगतान करे।

(b) याचीगण को एवार्ड की गयी धनराशि में से कुल ₹80,000/– (अस्सी हजार रूपये मात्र) निर्णीत धनराशि का 10 प्रतिशत एवं उनके हिस्से के प्रतिकर पर उत्पन्न सम्पूर्ण ब्याज समान अनुपात में ई.सी.एस. द्वारा उनके बचत खाते में भुगतान की जायेगी। शेष धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक में तीन वर्ष के लिए किसी सावधि जमा योजना (एफ.डी.आर.) के अन्तर्गत निवेशित की जायेगी। मूल, नियत निक्षेप बैंक द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे। तथापि, एफडीआर संख्या, एफडीआर रकम, परिपक्वता की तारीख और परिपक्वता की रकम अंतर्विष्ट करने वाला विवरण बैंक द्वारा दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) को प्रस्तुत किया जाएगा।

(c) याचीगण को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने निवास स्थान के निकट स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में आधार से जुड़े अपने बचत बैंक खाते का विवरण इस न्यायाधिकरण के अपर निबंधक पटना को एक माह के अंदर उपलब्ध कराये। बैंक उनके बचत बैंक खाते या सावधि जमा खाते में किसी भी संयुक्त नाम को जोड़ने की अनुमति नहीं देगा अर्थात् उनका बचत खाता एकल बचत खाता होगा, संयुक्त खाता नहीं होगा।

(d) एफ.डी.आर. की परिपक्वता राशि याचीगण के सम्बंधित बचत खाते में इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सिस्टम (ई.सी.एस.) द्वारा जमा की जायेगी।

(e) न्यायाधिकरण की अनुमति के बिना सावधि जमा पर कोई ऋण, अग्रिम निकासी या समय से पहले भुगतान की अनुमति नहीं होगी।

(f) सम्बंधित बैंक याचीगण को कोई चेकबुक या डेबिट कार्ड जारी नहीं करेगा। डेबिट कार्ड या चेकबुक पूर्व में ही जारी किये जाने की स्थिति में बैंक प्रतिकर की धनराशि के वितरण के पूर्व ही इसे (रद्द) कर देगा।

(g) बैंक याचीगण की पासबुक पर इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि कोई भी चेकबुक या डेबिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। याचीगण विधिवत आवश्यक पृष्ठांकन के साथ बैंक मैनेजर द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहर लगी पासबुक न्यायाधिकरण के अपर निबंधक पटना के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही बैंक को यह निर्देश दिया जाता है कि वह याचीगण को केवल निकासी फार्म के माध्यम से अपने बचत खाते से पैसा निकालने की अनुमति देगा।

24. निर्णय की प्रति दोनों पक्षकारों को बिना किसी मूल्य के उपलब्ध करायी जाय और याचीगण को निर्णय की प्रति उसके निवास स्थान पर स्पीड पोस्ट से भेजा जाय। तत्पश्चात समस्त औपचारिकता पूरी होने के पश्चात पत्रावली को दाखिल दफ्तर किया जाय।

(एस0डी0शर्मा)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, कोलकाता
सर्किट बेंच, पटना
दिनांक 03.04.2025

(एस0एस0गेहलोत)
उपाध्यक्ष
रेल दावा अधिकरण
सर्किट बेंच, पटना
दिनांक 03.04.2025